तारीख फैसला	क	

8-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित राज पैरोकार से जवाब स्टेट अपेक्षित पत्रावली वास्ते जवाब स्टेट दिनांक 14-8-19 को पेश हो।

14-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित राज पैरोकार उपस्थित जवाब स्टेट पेश हुआ शामिल पत्रावली किया गया प्रकरण में कोई प्रतिवाद नहीं होने से तनकीयात बनना नहीं पाया जाता है पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 19-8-19 को पेश हो।

19-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन बाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर पत्रावली को पेशी में लिया जाकर डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

न्यायालय उप
पीठासीन अधिकारी
राजस्व वाद संख्या
1 कमल पुत्र
हनुमानगढ
1 देवीलाल
हनुमानगढ़
2 महावीर पु
हनुमानगढ़
3 तहसीलदा
दावा अन्तर्ग
1. श्री कुलदी
2. श्री प्रलाद
3. राज पैरोव
वादी द्वारा
स न्यायालय में
क 8 एम.डब्ल्यू.
केला नम्बर 15/
क्टर चक नम्बर
म्बर 129/360
म्बर 41 किला
3, 17, 18, 23,
1/6 हिस्सा
त्थर नम्बर 132
14 हैक्टर, पत्थ
क्टर कुल 3.2
माबन्दी संलग्न
वादपत्र
ी पैदाकर्त्ता स
व. अखाराम से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहा

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 166/2019

1 कमल पुत्र श्री देवीलाल जाति बिश्नोई निवासी मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 देवीलाल पुत्र श्री अखाराम जाति बिश्नोई निवासी मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 महावीर पुत्र श्री देवीलाल जाति बिश्नोई निवासी मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री कुलदीप कुमार बिश्नोई अधिवक्ता वादी
2. श्री प्रलाद सुथार अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2
3. राज पैरोकार प्रतिवादी संख्या 3

दिनांक :– 12.08.2019

–:: निर्णय ::–

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 8 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील हनुमानगढ़ के मुरब्बा नम्बर 6 के पत्थर नम्बर 128/362 (8) केला नम्बर 15/1/0.013, 16, 17, 18/1/.240, 19/1/.215, 20/1/.190 कुल 1.164 हैक्टर चक नम्बर 7 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 25/60 के पत्थर नम्बर 129/360 मुरब्बा नम्बर 40 किला नम्बर 21 ता 24 पत्थर नम्बर 128/360 मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर 6, 15 पत्थर नम्बर 129/361 मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 11 ता 13, 17, 18, 23/1/.228, 24/2/.228, 25/2/.228 हैक्टर कुल 1.949 हैक्टर कृषि भूमि में 1/6 हिस्सा व चक 7 एम.डटब्ल्यू.एम. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 20/21 पत्थर नम्बर 132/259 मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 2, 9, 12, 19, 22/1/.202 कुल 1.214 हैक्टर, पत्थर नम्बर 128/362 मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 6 ता 15 कुल 2.530 हैक्टर कुल 3.238 हैक्टर दर्ज बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि स्वयं की पैदाकर्त्ता सम्पति नहीं है।, पैतृक सम्पति है। जो प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के दादा स्व. अखाराम से विरास्तन मिली है। उक्त कृषि भूमि की वादी एवम प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का घराघरू बंटवारा किया हुआ है। जिसमें वादी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि बंटवारे के अनुसार दी हुई है जो कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य निम्न प्रकार से बंटवारा हुआ है।

(क) वादी के कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक 7 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 20/21 के पत्थर नम्बर 128/362 मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 10, 11/.190 व चक नम्बर 8 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 128/362 मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 16, 17, 18/1/.240, 19/1/.215, 20/1/.190 कुल 1.594 हैक्टर कृषि भूमि कब्जा काश्त में है।

लगातार 2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

(ख) प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक 7 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 20/21 के पत्थर नम्बर 128/362 मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 6 ता 9, 12/164, 13/152, 14/126, 15/127 हैक्टर एवम् चक 8 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 128/362 (8) किला नम्बर 15/1/013 हैक्टर कुल 1.594 हैक्टर।

(ग) प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त की भूमि चक 7 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 20/21 के पत्थर नम्बर 132/359 मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 2, 9, 12, 22/1/.202 कुल 1.214 हैक्टर व खाता संख्या 25/60 के पत्थर नम्बर129/360 मुरब्बा नम्बर 30 किला नम्बर 21 ता 2, पत्थर नम्बर 128/360 मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 6, 15, पत्थर नम्बर 129/362 मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 11 ता 13, 17, 18, 23/1/.228, 24/2/.228, 25/2/.228 हैक्टर कुल 1.949 हैक्टर कृषि भूमि में 1/6 हिस्सा इस कृषि भूमि मे 1/6 हिस्सा इस कृषि भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 के साथ उनके भाई व भाईयों के वारिसान आदि सहखातेदारान है, इसलिये इस कृषि भूमि के सम्बंध में तकसीम खाता का दावा अलग से पेश कर कृषि भूमि तकसीम करवाई जावेगी। ताकि इस मुकद्मा मे पेचिदगी ना हो। ऐसी स्थिती मे प्रतिवादी संख्या 1 को भी जद्दी जायदाद में उनका हक हिस्सा मिला है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

वाद पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित कृषि भूमि अनुसार घराघरू बंटवारे में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मौके पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होनें के कारण वादी को अपनें हक व हिस्सा की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होनें के कारण वादी को अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि अपनें नाम दर्ज करवानें का अधिकारी है। वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होनें के कारण सींव व रकमराज को विवाद रहता है, एवम् साथ ही वादी को अपनें हक की कृषि भूमि पर सरकार द्वारा दी जानें वाली सुविधाओं से वंचित रहना पडता है।

वादी इस आशय की घोषणा फरमाई जानें के अधिकारी है, कि वादपत्र की दफा 3 के मुताबिक घराघरू बंटवारा एवम् वादी के हक व हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा इसी अनुसार अपना खाता अलग कायम करानें का अधिकारी है।

वादी नें प्रतिवादी को आज से 15 दिन पूर्व मौजा गांव मैनावाली में निवेदन कर वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित घराधरू बंटवारे एवम् वादी के हक व हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि के अनुसार वादी के नाम से उक्त कृषि भूमि को दर्ज राजस्व रिकार्ड करनें का निवेदन किया तो प्रतिवादी नें ऐसा करनें से इन्कार कर दिया यदि वाद कारण है।

प्रतिवादी संख्या 3 को उपराक्त कृषि भूमि का भू. धारक होनें के कारण वाद में पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। वाद माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है। कृषि भूमि हनुमानगढ़ तहसील में है, एवम् वाद कारण मौजा मैनावाली में उत्पन्न हुआ है इसलिये श्रीमान्जी को दावा सुनने के समस्त अधिकार प्राप्त है अतः वाद पत्र प्रसतुत कर निवेदन है, कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमाई जावे कि वादी चक 7 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 20/21 के पत्थर नम्बर 128/362 मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 10, 11/.190 व चक नम्बर 8 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 128/362 मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 16, 17, 18/1/.240, 19/1/.215, 20/1/.190 कुल 1.594 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है, इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करवानें के अधिकारी है।

लगातार 3

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official
Scanned by CamScanner

(ख) प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा कास्त की कृषि भूमि चक 7 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 20/21 के पत्थर नम्बर 128/362 मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 6 ता 9, 12/.164, 13/.152, 14/.126, 15/.127 हैक्टर एवम् चक 8 एम.डब्ल्यू.एम. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 128/362 (8) किला नम्बर 15/1/.013 हैक्टर कुल 1.594 हैक्टर कृषि भूमि का विभाजन वादी एवम् प्रतिवादी एवम् प्रतिवादी संख्या 2 के नाम अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग किया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से वादी को दिलाया जावे।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी को प्रदान करना उचित समझे दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 व द्वारा इकबाल दावा प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया वाद पत्र कि चरण संख्या 1 ता 7 स्वीकार करते हुए कथन किया कि वाद पत्र वादी मुताबिक इस्तदुआ डिक्री फरमाया जावे ते हम प्रतिवादीगण कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से राज पैराकार द्वारा जवाब स्टेट प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि विवादित कृषि भूमि का पैतृक सम्पति होना स्वीकार है, घराघरू बंटवारा के सम्बंध में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का बंटवारा किया होनें के सम्बध में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को ही मालूम है। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट पटवार मण्डल मैनावाली के राजस्व रिकार्ड के अनुसार देवीलाल पुत्र अखराम कौम बिश्नोई निवासी मैनावाली के नाम से चक 8 एम.डब्ल्यू.एम0 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में खाता सख्या 14 में पत्थर नम्बर 128/362 किला नम्बर 15/1/.013 कमाण्ड 16 से 17/.56, 18/1/.240, 19/1/.215, 20/1/.190 कुल 1.164 हैक्टर व पटवार मण्डल चक 23 एन.डी.आर. के चक 7 एम.डब्ल्यू.एम. के खाता संख्या 20/21 में कुल 3.238 हैक्टर है। अगर फिकरा नम्बर 3 में दर्शाये अनुसार विवादित कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में मुताबिक दावा तकसीम की जाकर अलग अलग खाते कायम किये जाते है, तो उस सूरत में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अलग अलग रकमराज भी कायम की जावे ताकि राज्य सरकार को भू–राजस्व प्राप्त होता रहे।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् इकबालदावा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर. आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 3.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

लगातार 4

Scanned by CamScanner

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिसकी वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादाधीन भूमि पक्षकारान की पैतृक कृषि भूमि होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:: आदेश ::—

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये इकबालदावा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वादाधीन कुल 3.238 हैक्टर भूमि में से वादी कमल पुत्र श्री देवीलाल को 1.594 हैक्टर भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 2 महावीर पुत्र देवीलाल को 1.594 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :—

1. वादी संख्या 1 कमल पुत्र श्री देवीलाल जाति बिश्नोई निवासी मैनावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि :—

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
7 एम.डब्ल्यू.एम.	20/21	128/362 (60)	10, 11/.190,	0.443 हैक्टर
8 एम.डब्ल्यू.एम	14	128/362 (5)	16, 17, 18/1/.240, 19/1/.215, 20/1.190	1.151 हैक्टर
कुल भूमि :—				1.594 हैक्टर

2. प्रतिवादी संख्या 2 महावीर पुत्र श्री देवीलाल जाति बिश्नोई निवासी मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :—

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
7 एम.डब्ल्यू.एम.	20/21	128/362 (60)	6 ता 9, 12/.164, 13/.152, 14/.126, 15/.127	1.581 हैक्टर
8 एम.डब्ल्यू.एम	14	128/362 (5)	15/.013	0.013 हैक्टर
कुल भूमि :—				1.594 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना—अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 12.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 12:15:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: